



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 474]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2020—अग्रहायण 13, शक 1942

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2020

क्र. एफ-37-4-2017-बीस-3.— मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2018) की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा फीस के अधिनियम और संबंधित विषयों हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 26 जून, 2018 में पूर्व में प्रकाशित किया गया था, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ —
 - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 है।
 - (2) यह, ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएः—
 - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) “शैक्षणिक सत्र” से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकारी अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड सहित अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित शैक्षणिक सत्र;
 - (ख) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017;
 - (ग) “प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता” से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो प्राचार्य /प्रधानाध्यापक /संचालक /प्रबंधक /न्यासी हो तथा जो इन नियमों के अधीन निजी विद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित वचनबंध या प्रतिज्ञान या अन्य सुसंगत जानकारी वाले किहीं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हो;
 - (घ) “आयुक्त” से अभिप्रेत है, आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश;
 - (ङ) “संचालक” से अभिप्रेत है, संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश;
 - (च) “जिला समिति” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 7 के अधीन फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु गठित जिला स्तरीय समिति;

- (छ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन विहित प्ररूप;
- (ज) "पोर्टल" से अभिप्रेत है, अधिनियम के प्रयोजनों और इन नियमों के कार्यान्वयन हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभिनिर्धारित आधिकारिक वेब पोर्टल;
- (झ) "स्कूल शिक्षा विभाग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन का स्कूल शिक्षा विभाग;
- (ञ) "राज्य समिति" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति।
- (2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।
3. सामान्य जानकारी एवं लेखाओं की प्रस्तुति तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:-
- (1) प्रारंभिक जानकारी— प्रत्येक निजी विद्यालय इन नियमों के अधिसूचित होने के 90 दिनों के भीतर पोर्टल पर निम्नानुसार जानकारी तथा अभिलेख, यथास्थिति, दर्ज अथवा अपलोड करेगा—
- (एक) विद्यालयीन सामान्य जानकारी— प्रत्येक निजी विद्यालय के लिए पोर्टल पर अद्यतन जानकारी प्ररूप—एक के अनुसार प्री—फिल्ड रूप से उपलब्ध होगी, जो निजी विद्यालय के प्राधिकृत जो संबंधित निजी विद्यालय की धारा 2 की उप-धारा (1) (ग) में यथा परिभाषित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अद्यतन, सत्यापित और अपलोड की जाएगी।
- (दो) संपरीक्षित लेखों संबंधी जानकारी— प्रत्येक निजी विद्यालय इन नियमों के अधिसूचित होने के वर्ष के पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के संपरीक्षित लेखों की प्रतियां प्ररूप—दो अनुसार पोर्टल पर अपलोड करेगा। संपरीक्षित लेखों में चिट्ठा (बेलेन्स शीट), प्राप्ति एवं भुगतान पत्रक, आय व्यव शेड्यूल सहित तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन सम्मिलित होंगे।
- (2) प्रति वर्ष प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी— प्रत्येक निजी विद्यालय प्रबंधन प्रतिवर्ष आगामी शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के 180 दिवस पूर्व पोर्टल पर निम्नानुसार जानकारी तथा अभिलेख यथा स्थिति दर्ज अथवा अपलोड करेगा—
- (एक) उपनियम 3(1) के खण्ड (1) के अधीन विद्यालय संबंधी सामान्य जानकारी में परिवर्तन होने की स्थिति में प्ररूप—एक की जानकारी अद्यतन करेगा एवं सत्यापित करेगा।
- (दो) विगत वित्तीय वर्ष के संपरीक्षित लेखें प्ररूप—दो अनुसार अपलोड करेगा।
- (तीन) वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित बजट प्राक्कलन की सत्यापित प्रति प्ररूप—दो अनुसार अपलोड करेगा।
- (चार) आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु प्रस्तावित फीस संरचना प्ररूप—तीन अनुसार पोर्टल पर अपलोड करेगा। प्रस्तावित फीस संरचना में अधिनियम की धारा—3 की उपधारा (1) में उपबंधित फीस की भवों के विरुद्ध संदेय राशि का उल्लेख करेगा। प्रस्तावित फीस संरचना के साथ ऐसी प्रक्रिया फीस ऑनलाइन जमा करेगा, जैसा कि विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए। यदि प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्धि पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में 10 प्रतिशत या उससे कम है तो आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु प्रस्तावित फीस संरचना सत्र प्रारंभ होने के 90 दिवस पूर्व तक पोर्टल पर अपलोड कर सकेगा।
- (3) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अनुसार प्रक्रिया फीस के संग्रहण हेतु विभाग द्वारा एक पृथक खाते का संधारण किया जाएगा। उक्त खाते का संचालन, संचालक, लोक शिक्षण अथवा अपर संचालक, लोक शिक्षण एवं संयुक्त संचालक, वित्त लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। प्रत्येक निजी विद्यालय प्रस्तावित फीस संरचना के साथ निर्धारित प्रक्रिया फीस इस खाते में ऑनलाइन जमा की जावेगी।
- (4) निजी विद्यालय द्वारा उपनियम (2) के अनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए प्रस्तावित फीस संरचना की जानकारी भय प्रक्रिया फीस, नियत समयसीमा में प्रस्तुत न करने की स्थिति में जिला समिति, उक्त निजी विद्यालय पर ऐसा अर्थादण्ड अधिरोपित कर सकेगी जैसा कि विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए।
- जिला/राज्य समिति द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना का परीक्षण और प्रस्ताव पर निर्णय लेने की प्रक्रिया :-
4. (1) नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड (2) के उप खण्ड (चार) अनुसार निजी विद्यालय द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्धि यदि पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में 10 प्रतिशत या उससे कम है तो निजी विद्यालय ऐसी प्रस्तावित फीस वृद्धि करने हेतु सक्षम होगा। निजी विद्यालय द्वारा प्ररूप तीन में प्रस्तुत ऐसी फीस वृद्धि का प्रस्ताव जिला समिति के सम्यक रूप से सूचित और स्वीकृत मान्य होगा। जिला समिति द्वारा इस संबंध में कोई पृथक आदेश जारी करना अपेक्षित नहीं होगा।